वर्ष: 03 अंक: 05

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - दिसंबर - 2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 03 अंक: 05

दिसंबर 2023

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नए साल 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 27 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 28वां अंक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) के निर्देशानुसार आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को इस अंक में संकलित किया गया है। इस अंक में आयोग द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षणों, विभिन्न संस्थानों की समीक्षा बैठक, आयोग मुख्यालय व राज्य कार्यालयों में की गई जनसुनवाई, आयोग की आतंरिक बैठक समेत देश भर के कई बड़े मामलों को शामिल किया गया है। दिसंबर माह में आयोग मुख्यालय में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि को भी इस अंक में शामिल किया गया है। आशा है कि मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहेगा।

धन्यवाद

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

डॉ. अंजू बाला
सदस्या

श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य

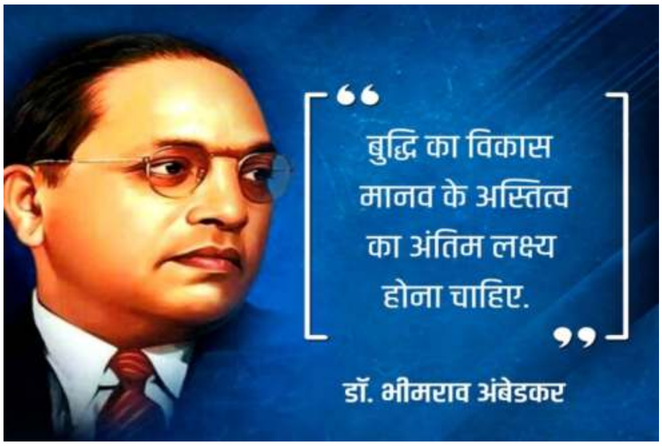

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

Koo

@NCSC

माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) का संदेश

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के 28वें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग द्वारा प्रकाशित दिसंबर अंक के साथ ही हम नए साल 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को नए साल 2024 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

बीते साल 2023 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान द्वारा प्रदत अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया। इसके लिए कार्यालयों में जनसुनवाई की गई। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मिली घटनाओं की जानकारी पर भी आयोग ने संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया। विभिन्न संस्थानों की समीक्षाएं भी की गईं। आयोग का यह प्रयास आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में आयोग की मासिक पत्रिका का अहम योगदान रहा है।

दिसंबर माह में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोग मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोग के माननीय सदस्यों श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीया सदस्या डॉ. अंजू बाला ने कई घटनाओं पर स्थलीय निरीक्षण किया और जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। स्थलीय निरीक्षणों में कर्नाटक की घटना जिसमें बच्चों से सेप्टिक टैंक की सफाई कराई गई और महाराष्ट्र की वह घटना जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के डर से अनुसूचित जाति के लगभग 42 परिवारों का गांव छोड़ना शामिल था।

इसके अलावा एनबीसीसी, एचएएल, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता कस्टम्स जैसी संस्थानों की समीक्षा भी की गई। इन समीक्षा बैठकों में आयोग ने संबंधित संस्थानों के अधिकारियों से यह जानकारी ली कि किस प्रकार इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका सहयोग हमें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। आपसे आगे भी ऐसी ही सकारात्मक सहयोग की आशा रहेगी।

नए साल की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं!

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

अरूण हालदार

अध्यक्ष (कार्य प्रभारित),

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

@arunhalderncsc

NBCC की आयोग ने की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने दिसंबर माह में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार के नेतृत्व में की गई। इस समीक्षा बैठक में आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी शामिल रहीं। नई दिल्ली में आयोजित इस समीक्षा बैठक में आयोग ने एनबीसीसी के अधिकारियों से यह जानकारी ली कि किस प्रकार इस संस्था में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को आरक्षण नीति का उचित लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस समीक्षा बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारी भी मौजूद रहे।

स्थलीय निरीक्षण

आयोग के आश्वासन के बाद अनुसूचित जाति के लोग लौटे घर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र के जिला वाशीम तहसील मालेगाव के बोराळा गांव में अनुसूचित जाति के लगभग 42 परिवार ग्रामीणों की धमकियों के बाद गांव छोड़ चुके हैं।

इस घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग का एक दल स्थलीय जांच के लिए बोराला गांव पहुंचा।

इस दल की अगुवाई आयोग के माननीय सदस्या श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने की। माननीय सदस्य ने मौके पर पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए। साथ ही गांव छोड़ बाहर रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए गांव लौटने की अपील की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को बताया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। माननीय सदस्य ने पीड़ित परिवारों को कहा कि अनुसूचित जाति आयोग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि उनके साथ कोई अन्याय न हो। उनके आश्वासन के बाद सभी 42 परिवार 5 दिनों बाद गांव वापिस लौट गए।

स्कूल में बच्चों से कराया सेप्टिक टैंक की सफाई आयोग ने बताया अमानवीय कृत्य

कर्नाटक के कोलार जिले में एक आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चों से सेप्टिक टैंक की सफाई कराई गई। मीडिया के माध्यम से मिली इस जानकारी पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग का एक दल माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला की अगुवाई में स्थलीय निरीक्षण के लिए कोलार स्थित उस आवासीय स्कूल में पहुंचा जहां पर बच्चों से सफाई कराने की घटना हुई थी।

माननीय सदस्या ने घटना पर समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस घटना के संबंध में कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव ने आयोग को पूरी जानकारी दी। बताया कि इस मामले में प्रधानाचार्य और शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। माननीय सदस्या ने इस घटना को अमानवीय करार दिया। उन्होंने स्कूल का भी निरीक्षण किया और बच्चों के भोजन की गुणवत्ता देखी। उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया व शिक्षण कक्षों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना मालूर तालुक के यलुवहल्ली इलाके में स्थित मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल की है जहां पर स्कूल के कुछ छात्रों को सेप्टिक टैंक में नीचे उतरकर उसे अपने हाथों से साफ करने को कहा गया था।

महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला के साथ पुष्पांजलि अर्पित की।

माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। उन्होंने जीवन भर संघर्ष ही किया ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

इस मौके पर आयोग के सचिव श्री जी. श्रीनिवास, डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर और आयोग के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने भी बाबा साहेब को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।

कोलकाता कस्टम्स जोन की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरुण हालदार की अगुवाई में कोलकाता कस्टम्स जोन की समीक्षा की गई। यह समीक्षा बैठक कोलकाता में ही आयोजित की गई थी। इस दौरान आयोग व कोलकाता कस्टम्स के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

HAL की आयोग ने की समीक्षा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने हैदराबाद में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की समीक्षा की। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के साथ-साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया ।

आयोग ने विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की समीक्षा की

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान पोर्ट अथॉरिटी में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का आकलन किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

खबरों में आयोग

Report sought from 10 states on why SC status not granted to subcastes among rehabilitated Bengalis

I / Dec 19, 2023, 22:42 IST

124 PTS SHARE AA FOLLOW US

The National Commission for Scheduled Castes has issued notices to 10 states seeking a report on why scheduled caste status has not been granted to Namasudra, Paundra, and Rajvanshi sub-castes among rehabilitated Bengalis who cai ...Read More

NCSC Chairman (in-charge) Arun Haldar (Photo credits: X)

NEW DELHI: The National Commission for Scheduled Castes has issued notices seeking a report from 10 states as to why scheduled caste status has not yet been granted to Namasudra, Paundra and Rajvanshi sub-castes among rehabilitated Bengalis who came from East Pakistan in 1947. The Commission has asserted that the states grant SC status to them.

Taking cognizance of the matter the NCSC Chairman (in-charge) Arun Haldar has started an investigation to address why these sub cases have not got the SC status in 10 states and sought a report.

iNsamachar

मुख्य समाचार राष्ट्रीय समाचार चुनाव की खबरें दुनिया की खबरें अर्थ जगत खेल समाचार मौसम Web

पुनर्वसित बंगाली लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्यों को दिया आदेश

दिसम्बर 19, 2023 INSAMACHAR

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

पुनर्वसित बंगाली समाज के नमःशुद्र, पौंड्र व राजवंशी उपजाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग ने अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) अरूण हालदार के निर्देशानुसार संबंधित राज्यों को जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है।

निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का दस राज्यों का प्रतिनिमंडल आयोग मुख्यालय में अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) अरूण हालदार से मिला। अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) को समिति ने पूरी जानकारी दी कि अनुसूचित जाति का दर्जा न मिलने के कारण इस समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) अरूण हालदार ने कहा कि, साल 1947 में पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को साल 1960 से भारत सरकार द्वारा 18 राज्यों में पुनर्वास किया गया था। इनमें से 8 राज्यों में बंगाली समाज के नमःशुद्र, पौंड्र व राजवंशी उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड व कर्नाटक में इन्हें आज तक अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सका है।

अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने कहा कि ये सभी पुनर्वसित लोग अपने हक की लड़ाई लंबे सम लड़ रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित राज्य सरकारों को जांच कर आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग, केंद्र सर बात कर जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने की केंद्र की योजनाओं की समी

धर्मशाला, 19 दिसंबर : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कांगड़ा मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग की सदस्य डॉ अंजू बाला ने की। बैठक में आयोग से निदेशक एवं डीआईजी सनमीत कौर, अनुसंधान अधिकारी अरुणाभा भट्टाचार्य, बीके भोला उपस्थित रहे।

बैठक में कांगड़ा, चम्बा और ऊना ज़िला में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा, स्टार्टअप, जनधन योजना, छात्रवृत्तियों, मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इत्यादि योजनाओं की जिलावार समीक्षा की।

अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य श्री. ...नी घेतला ठाणे महापालिकेच्या योजनांचा

ठाणे महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीबद्दल व्यक्त केले समाधान

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदर ने माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली-110003